ग्राम पंचायत बलग, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला
के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016

1 प्रस्तावना

(क) 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि. प्र. , को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत बलग , विकास खण्ड ठियोग , जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री सीता राम पथिक	23.01.2011 से 22.01.2016
2	श्री हरनाम सिंह कंवर	23.01.2016 से लगातार

सचिव

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	सुश्री मीरा देवी	09/2008 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितता का सार:- ग्राम पंचायत बलग के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र0 सं0	पैरा संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में
1	6	पंचायत के खाता "ख" से अर्जित ब्याज की राशि को खाता "क" में अन्तरित न किया जाना	3.03
2	9	दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत राजस्व की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.40

3	10	दिनांक 31.03.2016 तक अनुदानो का उपयोग न किया जाना	34.93
4	11	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही अनियमित व्यय करना	1.74
5	12	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	1.17
6	13	क्रय किए गए स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टि न किया जाना	1.75
7	14	अनिवार्य औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही भुगतान करना	0.55
8	15	अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न करना	0.65
9	16	Integrated Water Shed Development Project के अंतर्गत निर्धारित अवधि के भीतर लाभार्थियों को वितरित की गई ऋण को प्राप्त न करना	1.50
10	17	Integrated Water Shed Development Project के अंतर्गत लाभार्थियों से अंशदान को प्राप्त न किया जाना	0.29

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत बलग , विकास खण्ड ठियोग , जिला शिमला के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण , श्री अनिल शर्मा , अनुभाग अधिकारी एवं श्री रविन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 26.09.2016 से 29.09.2016 के दौरान ग्राम पंचायत बलग में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया , जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्ष	आय	व्यय
2013-14	04/2013	04/2013
2014-15	-----	09/2014
2015-16	06/2015	09/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत बलग , विकास खण्ड ठियोग , जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि. प्र. शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 226/2016 दिनांक 29.09.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत, बलग से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

सचिव , ग्राम पंचायत बलग द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार MG NREGA & Integrated Water Shed Project के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों और स्वः स्त्रोत की आय/व्यय को अलग-अलग रोकड़ बही में लेखांकित किया गया है तथा साथ ही बैंक खातों में तदानुसार जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखांकित आय व्यय के सम्बन्ध में Ledger Accounts नहीं बनाए गए है। ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण संलग्न **"परिशिष्ट- 1"** पर दिया गया है।

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

ग्राम पंचायत बलग की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था , जबकि हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अत: पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 पंचायत के खाता "ख" से अर्जित ब्याज ₹3.03 लाख को खाता "क" में अन्तरित न किया जाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता **"ख"** में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि को पंचायत निधि के स्व: संसाधनों के खाता **"क"** में अन्तरित किया जाना अपेक्षित हैं। परन्तु अंकेक्षण में पंचायत के खातों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता **"ख"** में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की ₹**302530**/- राशि को खाता **"क"** में अन्तरित नहीं किया गया था। अत: इस अनियमितता के बारे में उचित

स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये, खाता **"ख"** में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि को खाता **"क"** में अन्तरित प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अवधि 04/2013 से 03/2016 के दौरान खाता "ख" में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि का विवरण

Year	Name of GIA	Amount of Interest Earned
	MG Narega	0.00
	IWSDP	6029.00
2013-14	GIA (General)	88962.00
	MG Narega	2848.00
	IWSDP	3580.00
2014-15	GIA (General)	88620.00
	MG Narega	0.00
	IWSDP	6693.00
2015-16	GIA (General)	105798.00
	Total	**302530.00**

7 प्राप्त आय की ₹0.04 लाख को संबन्धित बैंक खाते में जमा करवाए बिना ही सीधे तौर पर व्यय किए जाने बारे

नियमानुसार सर्वप्रथम प्राप्त आय को पंचायत के बैंक खाते में जमा किया जाना और उसके उपरांत विभिन्न व्ययों हेतु बैंक खाते से राशि का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में आय की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न कार्य दिवसों को ₹15250/- की आय विभिन्न आय शीर्षकों के अंतर्गत प्राप्त की गई थी, इस प्राप्त राशि में से पंचायत द्वारा ₹4158/- को पंचायत के बैंक खाते में जमा करवाए बिना ही सीधे तौर पर विभिन्न व्ययों का भुगतान करने हेतु प्रयोग किया गया था। ऐसे सभी व्ययों का विवरण निम्न निम्न प्रकार से दिया गया है। इस प्रकार आय को सीधे तौर पर व्यय करना अपने आप में एक वित्तीय अनियमितता है। अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा साथ ही भविष्य में प्राप्त आय को सर्वप्रथम पंचायत के बैंक खाते में जमा करके उसके उपरांत ही इसे भुगतान हेतु प्रयोग में लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Type of Receipt	Date	Amount	Type of Expenditure	Cash Book P.No.	Date	Amount of Expenditure
विभिन्न	27.07.2013	3750	विभिन्न व्यय	51	27.07.2013	2948
प्राप्तियाँ	22.06.2015	11500	विभिन्न व्यय	55	22.06.2015	1210
	Total	**15250**				**4158**

8. बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल मात्र ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका (Minutes Book of Gram Panchyat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किए जाए।

9. पंचायत राजस्व की ₹0.40 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-2** में दिये गए विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक राजस्व ₹0.40 लाख वसूली हेतु शेष थी। अत: उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

10. अनुदान की ₹34.93 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा अनुदानों और स्व: स्रोत्रों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2016 तक कुल ₹3492990/- उपयोग हेतु शेष थे। विवरण **परिशिष्ट-3** पर दिया गया हैं। अत: अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण संबन्धित संस्था को किया जाए।

11 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹1.74 लाख का अनियमित व्यय करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 से अधिक के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक अनुमोदन व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट-4"** में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹173961/- का व्यय प्रशासनिक अनुमोदन व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया , जोकि नियमों के अनुकूल

न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरांत अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

12 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.17 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचरिकताए प्रावधित है। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **"परिशिष्ट-5"** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹116967/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया , जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 क्रय किए गए ₹1.75 लाख के स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टियां न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1)(a,b,c एवं d) के अंतर्गत पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार को उसकी स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25 ,26,27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में विभिन्न क्रय की गई सामग्री की जाँच करने में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान क्रय की गई ₹174970/- की विभिन्न मदों, जिनका विवरण **"परिशिष्ट-6"** में दिया गया है , को क्रय करने के उपरांत भण्डार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था , जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 अनिवार्य औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.55 लाख का भुगतान करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1),(2) के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा किए गए सभी प्रकार के भुगतान को ग्राम पंचायत प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सत्यापित किया जायेगा। अंकेक्षण में अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान ₹55470/- भुगतान बिलों की जाँच करने में पाया गया कि भुगतान जिनका विवरण **परिशिष्ट-7** में दिया गया हैं , को ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था, और न ही भुगतान बिल पर पंचायत प्रस्ताव संख्या अंकित की गई थी, जिस बारे में

स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 अस्थाई अग्रिमों ₹0.65 लाख का समायोजन न करना

व्यय वाऊचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत के पदाधिकारियों को विभिन्न प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार अस्थाई अग्रिम की राशियों का भुगतान किया गया था। नियमानुसार प्रयोजन के पूर्ण होने के तुरंत बाद अग्रिमों का समायोजन किया जाना अपेक्षित था, लेकिन **परिशिष्ट - 8** में दिये गए विवरणानुसार अस्थाई अग्रिमों के समायोजन हेतु उचित कार्यवाई न करने के कारण दिनांक 31.03.2016 तक कुल ₹64920/- के अस्थाई अग्रिम की राशि समायोजन हेतु शेष थे। इस प्रकार अस्थाई अग्रिमों का समय पर समायोजन न करवाने के कारण राशि के अस्थाई दुर्विनियोजन की संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। अत: अस्थाई अग्रिमों को समय पर समायोजित न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इन राशियों का यथाशीघ्र समायोजन किया जाए।

16 Integrated Water Shed Development Project के अंतर्गत निर्धारित अवधि के भीतर लाभार्थियों को वितरित की गई ऋण की ₹1.50 लाख को प्राप्त न करना

Integrated Water Shed Development Project के नियमों के अनुसार परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी ग्रुप को ₹25000 प्रति ग्रुप की दर से ऋण राशि जीवनज्ञापन हेतु प्रदान की गई थी। इस प्रकार अंकेक्षण अवधि के दौरान कुल 6 लाभार्थी समूहों को ऋण की राशि प्रदान की गई थी। इस परियोजना के निर्देशों के अनुसार लाभार्थी ग्रुप द्वारा ऋण की राशि को ऋण देने की तिथि से 15 महीने के अन्दर ग्राम पंचायत में वापिस जमा करवाई जानी थी। अंकेक्षण में उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि न तो किसी लाभार्थी ग्रुप द्वारा ऋण की राशि को वर्तमान समय तक वापिस किया गया और न ही इस संदर्भ में ऋण वापसी हेतु कोई पत्राचार सचिव ग्राम पंचायत द्वारा लाभार्थी ग्रुप के साथ किया गया था। इस प्रकार परियोजना नियमों की अनदेखी करके लाभ भोगी/लाभार्थी समूहों से ऋण की कुल ₹150000 वर्तमान समय तक वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न प्रकार दिया गया है। अत: परियोजना नियमों की अनदेखी करके ऋण की राशि की वसूली न करने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा साथ ही वर्तमान समय में इस राशि की वसूली लाभभोगी/लाभार्थी समूहों से की जानी सुनिश्चित की जाए। इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Date of payment	Cash Book Page No.	Amount paid	To Whom Paid	Remarks
8-2-2013	36	25000.00	Self help Group Dagali.	Amount of loan not Recovered
26-4-2013	38	25000.00	Self help Group anshumaan balag	Amount of loan not Recovered
2-11-2013	47	25000.00	Self help Group nishant bhai.	Amount of loan not Recovered
2-11-2013	47	25000.00	Self help Group Narain balag	Amount of loan not Recovered
8-11-2013	47	25000.00	Self help Group shiwani sanal	Amount of loan not Recovered
11-2-2-14	53	25000.00	Self help Group nilaksh kot	Amount of loan not Recovered
Total		**150000.00**		

17 Integrated Water Shed Development Project के अंतर्गत लाभार्थियों से अंशदान की 0.2 9 लाख की राशि को प्राप्त न किया जाना ।

Integrated Water Shed Development Project(हरयाली) के नियमानुसार लाभार्थी को अपनी जमीन पर सिंचाई हेतु टैंक इत्यादि के निर्माण हेतु आर्थिक मदद प्रदान की जायेगी। इस योजना के अंतर्गत निर्माण किए टैंक की लागत का सामान्य वर्ग से 10% और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति से 5% की दर से का अंशदान लिया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में उपरोक्त योजना से संबन्धित अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न व्यक्तियों से अंशदान प्राप्त नहीं किया गया था। अत: परियोजना नियमों की अनदेखी करके लाभार्थियों से अंशदान की राशि की वसूली न करने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा साथ ही वर्तमान समय में इस राशि की वसूली लाभभोगी/लाभार्थी व्यक्तियों से की जानी सुनिश्चित की जाए। इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Name of Scheme	Amount of Scheme	Category	%of Public Share	Amount of Public Share
Nirman Tank Arog	82000.00	General	10%	8200.00
Nirman Tank jhalta	82000.00	O.B.C.	5%	4100.00
Nirman Tank Nano	82000.00	General	10%	8200.00
Nirman Tank Gharat	82000.00	General	10%	8200.00
Total				**28700.00**

18 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था , जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर /अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी		15(1)
5	विभिन्न अनुदानों के खाते(Ladgers)	7	29(1)
6	क्लासीफाइड एबस्ट्रक्ट (Classified Abstract)	8	29(4)
7	किराया माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 एवं 26	72(1) (a&b)
11	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

19 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है , परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20 विविध अनियमितताए

(क) रोकड़ बही का लेखांकन नियमानुसार न किया जाना

ग्राम पंचायत बलग द्वारा हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) के अनुसार वर्ष के अंत में रोकड़ बही में Cash in hand के साथ संबन्धित बैंक खातों का कोई विवरण नहीं दिया गया था। अत: सभी रोकड़ बहियों का निर्माण उपरोक्त वर्णित नियम 7 के अनुसार न किए बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए

तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण न किया जाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय का लेखांकन रोकड़ बही के साथ फार्म -7 पर खाता बहियों में किया जाना अनिवार्य था , परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के लेखांकन हेतु विभिन्न खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण नहीं किया गया था। अत: नियम 29(1) के अनुसार खाता बहियों का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर Classified Abstract का निर्माण किया जाना अनिवार्य था , परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर Classified Abstract का निर्माण नहीं किया गया था। Classified Abstract का निर्माण न किए जाने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय और किए गए व्यय को बजट प्रावधानों के साथ मिलान नहीं किया जा सका। अत: नियम 29(4) के अनुसार Classified Abstract का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(घ) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत प्रतिभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत बलग द्वारा नहीं बनाई गई थी। अत:93(ए)(1) के अंतर्गत प्रतिभागी समिति न बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए।

(ड़) अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 4/2015 से 3/2016 के दौरान मनरेगा से संबन्धित प्राप्त अनुदानों और भुगतानों को रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा मौखिक रूप से अंकेक्षण को सूचित किया कि इस अवधि के दौरान समस्त लेन-देन जिलाधीश कार्यालय , शिमला/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सीधे तौर पर किया जाता है। अत: उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान रोकड़ बही का लेखांकन न

किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा साथ ही इस सम्बन्ध आवश्यक कार्यवाही शीघ्र अतिशीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए।

(च) ग्राम पंचायत की आय से संबन्धित विभिन्न अभिलेखों की पढ़ताल करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत बलग द्वारा आय संग्रह के लिए जारी रसीदों की प्रविष्टि को स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित नहीं किया गया था। इस प्रकार रसीद बुकों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने के कारण अंकेक्षण में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि अंकेक्षण अवधि के दौरान जारी की गई सभी रसीदों से प्राप्त आय को रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था अथवा नहीं ? अत: आय संग्रह हेतु जारी की गई रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए साथ ही रसीदों को जारी करते समय इसकी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए।

21 लघु आपति विवरणिका :- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है, लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

22 निष्कर्ष:- लेखों मे सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(i) 34/2016–खण्ड–1–1110–1113 दिनाँकः18.02.2017
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत बलग, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ठियोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.